अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

केवल सदस्यों के लिए जनवरी 2006 मूल्य 3 रुपये

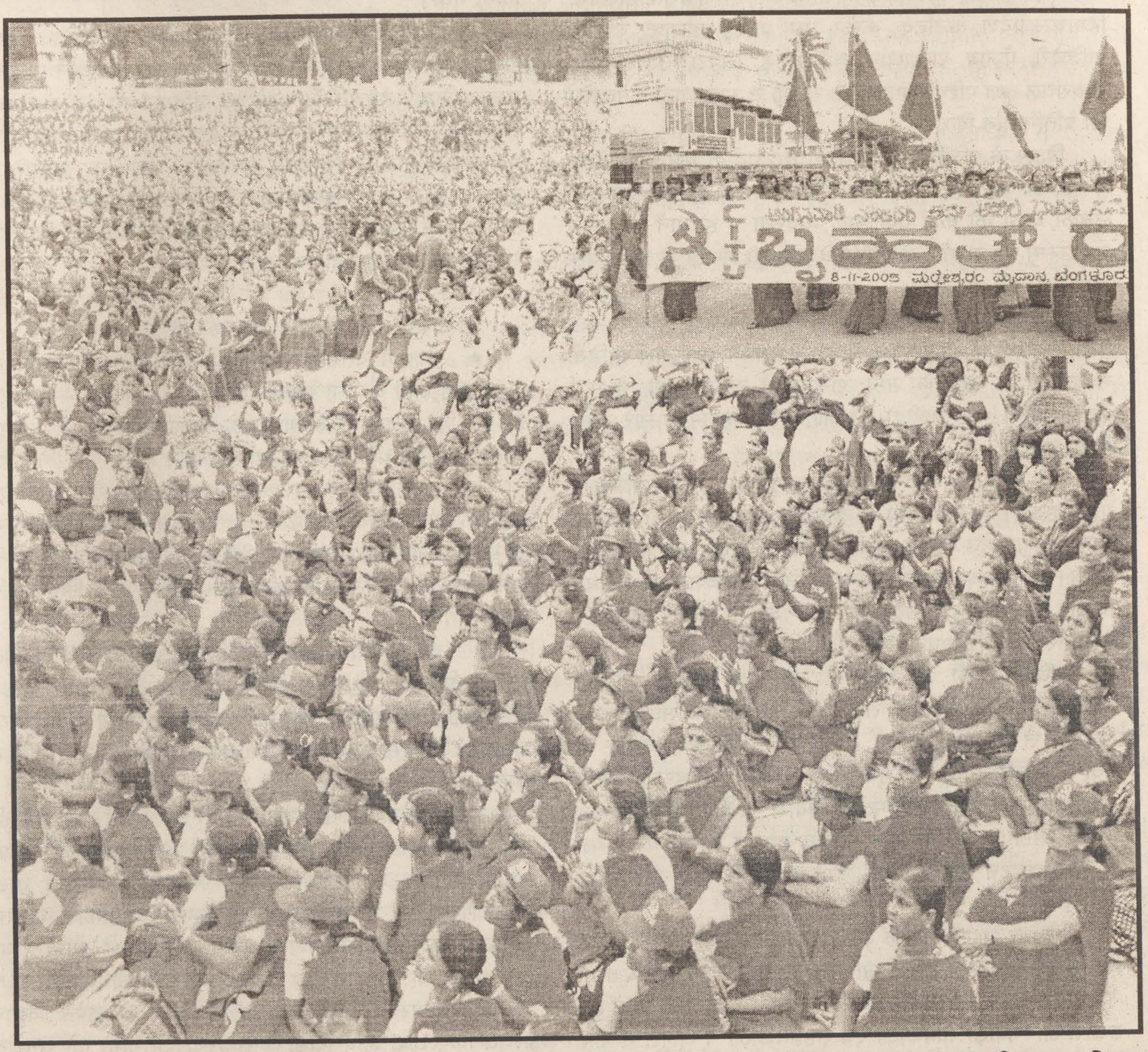

आई.सी.डी.एस. को मजबूत करने के लिए संघर्ष करो!
यूनियन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करो!!

आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन का पांचवां अधिवेशन

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन का पांचवां अधिवेशन 8 से 11 नवंबर 2005 को टाऊन हॉल, सुशीला गोपालन नगर, बंगलौर में संपन्न हुआ। 565 के कुल कोटे से कांफ्रेंस में 561 प्रतिनिधियों तथा ऑब्जर्वर्स ने भाग लिया। उन्होने आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल (20 राज्यों) से आंगनवाडी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया।

बिहार के प्रतिनिधि चुनाव तथा छठ पर्व के चलते अधिवेशन में नही आ पाए, झारखंड के प्रतिनिधि उनकी ट्रेन रद्द होने तथा उनकी यात्रा की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो पाने के कारण तथा जम्मू एवं कश्मीर के प्रतिनिधि वहां की स्थिति के चलते अधिवेशन में नही आ सके।

अधिवेशन का आरम्भ फैडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा द्वारा फैडरेशन के ध्वजारोहण से हुआ। लगभग 150 लाल साडियों में वालन्टियर, जो कि सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी थे, ने मार्च प्रस्तुत किया। यह शहीदों को श्रद्धांजलि कालम में नारे देकर किया गया।

सीटू महासचिव कामरेड चितब्रत मजूमदार जो कि अधिवेशन का उदघाटन करने वाले थे, बीमारी के चलते नही आ सके। सीटू उपाध्यक्ष कामरेड वी जे के नैयर ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। सीटू अध्यक्ष कामरेड एम के पंधे ने अधिवेशन का संबोधन किया। सीटू सचिव कामरेड कनाई बैनर्जी जो कि पूरे अधिवेशन मे उपस्थित थे, समापन भाषण दिया।

अधिवेशन की अध्यक्षता फैडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा, कार्याध्यक्ष भवतोष राय, आंध्र प्रदेश से संध्या रानी, आसाम से ख़िरला ब्रहमा, कर्नाटक से सविता, केरल से पद्मिनी, तमिलनाडू से भुवनेश्वरी, पंजाब से हरजीत कौर तथा पश्चिम बंगाल से सुष्मिता बिसवास ने की। प्रसिद्ध कन्नड लेखक बारूगुरू रामचन्द्रप्पा जो कि स्वागत कमेटी के अध्यक्ष थे, ने उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों तथा अतिथियों का स्वागत किया।

8 नवंबर 2005 को एक रंगीन, विशाल जुलूस तथा रैली हुई जिसमें दस हजार से अधिक आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने भाग लिया। लाल साडी तथा सफेद ब्लाउज की वर्दी पहने हुए हजारों आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने जुलूस में भाग लिया। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, तथा केरल के पडोसी जिलों से भी आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने रैली में भाग लिया।

एक कैलेंडर (जिसमें फैडरेशन तथा 11 राज्य कमेटियो के अभियानों/संघर्षों को दर्शाया गया है) तथा फैडरेशन द्वारा लाई गई डायरी का कनाई बैनर्जी द्वारा सार्वजनिक बैठक में विमोचन किया गया।

फैडरेशन की महासचिव हेमलता ने राजनैतिक तथा संगठनात्मक रिपोर्ट पेश की। कोषाध्यक्ष ए आर सिन्धु ने एकाउंट प्रस्तुत किया। हेमलता ने संशोधित संविधान भी प्रस्तुत किया। उपस्थित सभी राज्यों से 36 प्रतिनिधियों ने महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया। सभी वक्ताओं ने रिपोर्ट पर सहमति दी तथा उनके राज्यों के अपने अनुभवों के वर्णनों से मजबूत किए। अधिवेशन में रिपोर्ट के साथ एकाउंट की स्टेटमेंट तथा संशोधित संविधान को एकमत होकर स्वीकारा गया।

अधिवेशन द्वारा निम्न मुद्दों पर जोर दिया गया

- देश में वर्तमान राजनैतिक स्थिति हमारे संघर्षों के अनुकूल है जहाँ यू पी ए सरकार वामपंथ के समर्थन पर आधारित है, जो कि मजदूरों की मांगों का समर्थन करती है, जिसमें आंगनवाडी कर्मचारियों तथा सामान्य जन की मांगे शामिल है।
- अपने कार्य का पुनर्विन्यास, अभियानो और संघर्षो को प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों तथा सांगठनिक गतिविधियों से जोड़कर किया जाए। सभी कमजोरियो से उभरने के लिए तुरन्त सभी स्तर की कमेटियो को कार्य के पुनर्विन्यास के लिए प्रयत्न करने होंगे।
- हम भविष्य में चार 'क' (अंग्रेजी में चार सी) अर्थात् कमिट (प्रतिबद्ध), कॉन्शस (सचेतन), कैपेबल (सक्षम), कैडर (कार्यकर्ता), पर आधारित होंगे। अधिवेशन में सभी राज्य कमेटियों का कैडर विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाहन किया गया।

अधिवेशन के अवसर पर 9 नवम्बर 2005 को 'आई सी डी एस–सरकार की भूमिका' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा द्वारा किया गया। सी पी आई (एम) के महासचिव प्रकाश करात, कर्नाटक के मुख्य मंत्री धरम सिंह, सामाजिक न्याय तथा एम्पावरमेंट के लिए केंद्रीय मंत्री सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयति घोष ने सेमिनार में अपने विचार प्रस्तुत किए तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगो को समर्थन दिया। कर्नाटक की महिला तथा बाल विकास मंत्री भागीरथी मरूलासिद्धानागौड़ा ने अवसर पर यादगार की।

विचार-विमर्श के प्रमुख विषय

सम्मेलन ने 10 नवंबर को एक आधे दिन का सत्र चार विषयों पर विचार-विमर्श को समर्पित किया। चार कमीशनों में हुए इस विचार-विमर्श के ये विषय थे: जनता के साथ संबंधों को मजबूत बनाना, ट्रेड यूनियन तथा जनतांत्रिक आंदोलनों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भूमिका, आइ सी डी एस का सार्वभौमीकरण तथा मजबूती और संगठन।

इस विचार-विमर्श में यह नोट किया गया कि हालांकि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लोगों से आमतौर पर अच्छे संबंध हैं, लेकिन कई बार सरकार की अनदेखी, लाभान्वित होनेवाले लोगों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच कुछ तनाव पैदा कर देती है।

अनेक राज्य सरकारें कई बार वर्षों तक अनुपूरक पोषक आहार की आपूर्ति नहीं करती और जब इसकी आपूर्ति होती है, तो उसकी गुणवत्ता इतनी खराब होती है, कि बच्चे उसे खाने से इंकार कर देते हैं। ''जनता के साथ संबंध मजबूत बनाने'' संबंधी कमीशन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों का आह्वान किया कि अपनी कठिनाइयां जनता के सामने रखें, उसका समर्थन हासिल करें और ऐसे मुद्दों पर अभियान चलाएं और इन अभियानों में आइ सी डी एस से लाभान्वित होनेवाले लोगों को भी शामिल करें।

उसने यूनियनों के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान किया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ जनता तक पंहुचे, सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करें। सम्मेलन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि आंगनवाड़ी क्षेत्र में इस कार्यक्रम से लाभ पाने योग्य हर व्यक्ति और खासतौर से महिलाएं ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से लाभान्वित हों।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों के अनुभव यह दिखाते हैं कि आंगनवाड़ी मजदूरों की यूनियनों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, महिलाओं के अन्य तबकों को संगठित होने में मदद करने की काफी संभावना है।

खुद अपनी मांगों पर संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए, इन राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने घरेलू मजदूरों, कम्युनिटी स्वास्थ्य मजदूरों, दोपहर का भोजन बांटनेवाले कर्मचारियों की अपनी यूनियनें बनाने में मदद की है। उन्होंने अपने क्षेत्रों में महिलाओं, खेतमजदूरों, युवाओं आदि को भी संगठित होने में मदद दी है।

क्रेडेंशियल रिपोर्ट

आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन के कार्याध्यक्ष भबतोष राय अधिवेशन में सबसे अधिक उम्र के प्रतिनिधि थे। उनकी उम्र 76 वर्ष है। वे पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करने में शामिल थे तथा वे आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन के बनने के समय से इसके साथ जुड़े हुए थे।

आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन में कार्यरत अंजू मैनी सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि थी। वह 20 वर्ष की है।

51 प्रतिनिधि आंगनवाड़ी सेविकाएं थीं। 57 न आंगनवाड़ी सेविका तथा न ही आंगनवाड़ी सहायिकाएं बल्कि यूनियन के ऑर्गनाइज़र थे। 16 प्रतिनिधि पुरूष थे। उनमें से अधिकतर सीटू के राज्य स्तरीय नेता थे जो अपने राज्यो की यूनियनों का दिशा निर्देशन कर रहे थे।

अधिकतर प्रतिनिधि निम्न परिवारों से आए थे। 561 प्रतिनिधियों में से 378 प्रतिनिधियों की पारिवारिक आय 3,000 रू प्रति माह से कम थी। 129 की पारिवारिक आय 1,000 रू से कम थी। 59 प्रतिनिधियों की पारिवारिक आय 3,000 से 5,000 रू प्रति माह के बीच थी।

अधिकतर सभी प्रतिनिधि शिक्षित थे। उनमें से 371 ने एसएसएलसी या एचएससी की थी, 93 स्नातक थे जबकि 23 स्नातकोतर थे।

अधिवेशन में अनुभवी नेता तथा कार्यकर्ता, जो यूनियन में कुछ समय पहले ही शामिल हुए हैं, अच्छी संख्या में थे। 295 प्रतिनिधि अर्थात् 50 प्रतिशत से अधिक 10 वर्षों से अधिक समय से अपनी यूनियन के सदस्य थे, जबकि 136 प्रतिनिधि 20 वर्षों से अधिक समय से अपनी यूनियन के साथ जुड़े थे। अन्य ने यूनियन को पिछले 10 वर्षों में जॉयन किया था। उनमें से 384 ने जिला तथा राज्य स्तर पर स्थिति हासिल की जबकि 37 ने अखिल भारतीय स्तर पर स्थिति हासिल की।

18 प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि चुने गए। 2 प्रतिनिधि राज्य के लेजिसलेचर (एमएलए) चुने गए। 7 जिला पंचायत के सदस्य तथा 9 ग्राम पंचायत के सदस्य चुने गए।

''ट्रेड यूनियनों तथा जनतांत्रिक आंदोलनों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भूमिका'' संबंधी कमीशन में जोर देकर कहा गया कि आंगनवाड़ी क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों तथा जनतांत्रिक आंदोलनों की मजबूती से खुद आंगनवाड़ी कर्मचारियों के आंदोलन को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सम्मेलन ने सभी राज्य कमेटियों का आह्वान किया है कि तमाम राज्यों में वे इन्हीं प्रयासों का अनुसरण करें।

महिलाओं, खेतमजदूरों तथा किसानों के संगठनों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला या मीटिंग आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। इसके बाद आपसी सहयोग से संगठनों को विकसित तथा मजबूत कैसे किया जाए, इस पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्यस्तरीय कार्यशालाओं या मीटिंगों का आयोजन किया जा सकता है।

संगठन की स्थिति

''संगठन'' से संबंधित कमीशन ने यह नोट किया कि पिछले सम्मेलन के बाद से फेडरेशन की सदस्यता में 92,906 सदस्यों (68 फीसद) की बढ़ोतरी हुयी है। एक झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में

सदस्यता में बढ़ोतरी हुयी है। असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में प्रगति के चलते सदस्यता में असमानता में कुछ हद तक कमी आयी है।

पिछले सम्मेलन के समय जहां पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा केरल की सदस्यता कुल सदस्यता का 58.18 फीसद थी,वह 2004 में कम होकर 54.88 फीसद रह गयी। पांडिचेरी तथा त्रिपुरा में 90 फीसद आंगनवाड़ी कर्मचारी ए आइ·एफ ए डब्ल्यू एच के सदस्य हैं। पंजाब में 66 से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मचारी ए आइ एफ ए डब्ल्यू एच के सदस्य हैं।

इस स्थिति पर गौर करने के साथ ही साथ सम्मेलन ने व्यापक हिंदी भाषी क्षेत्र में निरंतर जारी कमजोरी पर भी चिंता व्यक्त की, जहां यूनियनें बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पायी हैं। इसी के चलते अखिल भारतीय स्तर पर ए आइ एफ ए डब्ल्यू एच की सदस्यता,देश के कुल आंगनवाड़ी कर्मचारियों के 18 फीसद के बराबर ही है। इसलिए हिंदी भाषी राज्यों में संगठन को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया।

सम्मेलन ने अपनी तमाम संबद्ध यूनियनों तथा राज्य कमेटियों का आह्वान किया कि वे एक मजबूत अखिल भारतीय संगठन का निर्माण करने के लिए अपने काम को नयी दिशा दें। उसने अभियानों तथा संघर्षों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने ,अभियानों के दौरान कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने, उन्हें प्रशिक्षित करने, उनकी चेतना का स्तर उठाने और संगठन में उन्हें सक्रिय करने के चौथे सम्मेलन के निर्णयों को फिर दोहराया गया।

संगठन को मजबूत बनाने में प्रतिबद्ध, जागरूक और क्षमतावान कार्यकर्ताओं को विकसित करने के महत्व पर जोर देते हुए सम्मेलन ने कार्यकर्ता तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन के अधिवेशन में पहली बार कमिशनों पर बहस की गई। सामान्यतः प्रतिनिधियों ने इसका स्वागत किया तथा इन विषयों पर ध्यान केंद्रित कर इसे लाभदायक पाया। चार विषयों पर बहस में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आंगनवाड़ी फैडरेशन द्वारा प्रकाशित एक बुकलेट 'स्केलिंग न्यू हाइटस'(नई उचाइयों में) (आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्षों के भाग) को पश्चिम बंगाल की वामपंथ की पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री तथा आंगनवाड़ी फैडरेशन के पदाधिकारी निरूपमा चटर्जी द्वारा विमोचन किया गया। इस बुकलेट में विभिन्न राज्यों से हमारी राज्य कमेटियो के महत्वपूर्ण संघर्षो के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए संघर्षो द्वारा प्राप्त लाभों की जानकारी तथा कुछ महत्वपूर्ण सरकारी आदेश शामिल है।

जनवादी महिला समिति की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सदस्या के एस विमला, अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के महासचिव विजय राघवन एम पी तथा अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष माला रेड्डी ने अधिवेशन को संबोधित किया।

अधिवेशन में 21 पदाधिकारियों के साथ कार्यकारिणी कमेटी के 67 सदस्यों का चुनाव किया गया। नीलिमा मैत्रा, भवतोष राय, हेमलता तथा ए आर सिंधु पुनः अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष चुने गए।

अधिवेशन में निम्न संगठनात्मक कार्यो को स्वीकारा गया

- अखिल भारतीय केंद्र को मजबूत करो।
- सक्रिय राज्य केंद्रों के गठन के लिए प्रयत्न करो। तब तक टीम फंक्शनिंग विकसित करो।
- राज्य कमेटी के काम में सुधार करो। दो दिन की बैठकें रखो और बैठको में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करो।
- जिला तथा परियोजना कमेटियों के काम में सुधार करो।
- कैडर विकास पर ध्यान केंद्रित करो।

अधिवेशन में निम्न अभियानों/संघर्षों को भी स्वीकारा गया

- आई सी डी एस का सर्वव्यापीकरण तथा विश्वीकरण के मुद्दे पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा लाभार्थियों के बीच एक विशाल अभियान का आयोजन राज्य स्तरीय प्रदर्शनों तथा रैलियों द्वारा परियोजना तथा जिला स्तर पर प्रदर्शन, सभी राज्यों में एक ही दिन, संसद के बजट सत्र के दौरान होगें। तिथि कार्यकारिणी कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- संसद के मानसून सत्र के दौरान एक 10 दिवसीय दिनरात का लगातार विशाल धरना/भूख हड़ताल संसद के समीप होगी। सभी राज्य कमेटियों को सुनिश्चित रूप से विभिन्न राज्यों से कम से कम 500 आंगनवाड़ी कर्मचारियों को एकत्र कर धरना/ भूख हड़ताल में प्रतिदिन भाग लेना होगा। कार्य का कार्यक्रम कार्यकारिणी कमेटी द्वारा होगा।
- इस अभियान का समापन आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय राष्ट्र व्यापी हड़ताल द्वारा होगा।
- जिन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र पहले से ही मौजूद है उन क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा नर्सरी केन्द्र खोले जाने के विरोध में लाभार्थियों के बीच एक विशाल अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान का आयोजन लाभार्थियों की सामूहिक बैठकों तथा पर्चे बॉटकर किया जाएगा। सभी परियोजना कमेटियों तथा अधिकतम स्वंय सहायता समूहों द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री तथा प्रधान मंत्री को टेलीग्राम (तार) भेजे जाऐगें।
- 8 दिसंबर,2005 को सी आई टी यू द्वारा आयोजित असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों की " संसद मार्च " में आंगनवाड़ी कर्मचारी अच्छी संख्या में भाग लेगें।
- 13 दिसंबर, 2005 को ट्रेड यूनियनों तथा जनसंगठनों द्वारा डब्ल्यू टी ओ शर्तों के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों में आंगनवाड़ी कर्मचारी भाग लेगें। □

देशभर में हुआ डब्ल्यू टी ओ की हांगकांग बैठक का जोरदार विरोध

हांगकांग में 13 से 18 दिसंबर, 2005 तक हुई डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक के खिलाफ 13 दिसंबर को देश-भर में जबर्दस्त विरोध कार्रवाइयां आयोजित की गईं। इन विरोध कार्रवाइयों की कुछ और रिपोर्टें हम इस अंक में प्रकाशित कर रहे हैं।

डब्ल्यूटीओ बैठक में विकसित देशों के ब्लैकमेल के खिलाफ और साम्राज्यवाद की साजिश तथा जघन्य मनसूबों को बेनकाब करने के लिए सीटू के आह्वान पर पूरे **पंजाब** में 13 दिसंबर को रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए गए। इस मौके पर **लुधियाना, संगरूर, चंडीगढ़, नवां शहर, पटियाला, जालंधर, होशियारपुर, अमृतसर, भटिंडा, पठानकोट, डेरा बस्सी, आसरों, गढ़शंकर, रोपड़** और **मानसा** में विशाल रैलियां आयोजित की गईं। इन रैलियों में 10,000 से ज्यादा औद्योगिक मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सीटू के अखिल भारतीय सचिव डब्ल्यूआर वरदराजन के अलावा इन रैलियों को सीटू राज्य अध्यक्ष प्रो0 बलवंत सिंह, महासचिव रघुनाथ सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष विजय मिश्र, सचिव देवराज वर्मा और सीटू के राज्य नेताओं जतिंदरपाल, गुरमेश सिंह, तरलोचन सिंह, महिंदर कुमार बद्दोवान, किशन सिंह, रणबीर विर्क, अलबेल सिंह, लाल झंडा एफसीआइ वर्कर्स एंड पल्लेदार यूनियन के राज्य अध्यक्ष रामसिंह संगरूर, केंद्र-शासित चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकारी कर्मचारियों व मजदूरों की तालमेल कमेटी के संयोजक राकेश कुमार, पंजाब रोडवेज मोटर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष व महासचिव क्रमशः खुशी मोहम्मद तथा फतेहचंद, पीआरटीसी मोटर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुच्चा सिंह तथा मल्कीयत सिंह जस्सोवाल, पीसीएमएसआरयू के महासचिव एएस साहनी तथा अध्यक्ष इंदरजीत सिंह, लाल झंडा भट्ठा वर्कर्स यूनियन, पंजाब के महासचिव जगदीश चंद, स्टेट साइकिल इंडस्ट्री वर्कर्स यूनियन के संयोजक जतिंदरपाल सिंह, आंगनवाड़ी मुलाज़म यूनियन की अध्यक्ष हरगोविंद कौर तथा महासचिव हरजीत कौर, जंगलात विभाग फील्ड वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष जगसीर सिंह तथा महासचिव तरसेम लाल और सीटू के चंडीगढ़ महासचिव वीडी तथा अध्यक्ष मोहम्मद शहनाज़ गोरसी ने संबोधित किया।

चंडीगढ़ में एक विशाल रैली को, जिसमें 1500 से ज्यादा मजदूरों और केंद्र-शासित क्षेत्र शासन तथा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, संबोधित करते हुए डब्ल्यूआर वरदराजन ने कहा कि साम्राज्यवादी देश भारत जैसे विकासशील देशों पर दबाव डालने की साजिश रच रहे हैं, ताकि ये देश हर तरह के प्रतिबंधों को हटाने और सीमा शुल्कों में कमी करने के जरिए अपने बाजार विकसित पूंजीवादी देशों की वस्तुओं के लिए खोल दें। विकसित पूंजीवादी देश विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक क्षेत्र, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन देशों की कृषि पर भी नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। उन देशों ने भारत और अन्य विकासशील देशों पर किसानों तथा लघु क्षेत्र उद्योगों को दी जा रही सब्सीडी घटाने का भी दबाव डाला है। वरदराजन ने चेतावनी दी कि संप्रग सरकार डब्ल्यूटीओ बैठक में साम्राज्यवादी ब्लैकमेल के आगे समर्पण नहीं करे और साम्राज्यवादी ताकतों के आर्थिक हमले की धार कुंद करने के लिए साम्राज्यवादविरोधी ताकतों के साथ सहयोग करे। केंद्र-शासित चंडीगढ़ के शासकीय तथा म्युनिसिपल कर्मचारियों व मजदूरों की बोनस के भुगतान, दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को, जो 15-20 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, नियमित करने, चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की सेवा शर्तों व नियम-कायदों को लागू करने आदि की मांगों का समर्थन करते हुए वरदराजन ने विश्वास दिलाया कि सीटू केंद्र-शासित क्षेत्र शासन तथा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर्मचारियों की जायज मांगों को उठाएगी।

लुधियाना में औद्योगिक मजदूरों ने संप्रग सरकार की जनविरोधी-मजदूर वर्गविरोधी आर्थिक नीतियों और बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकारों पर पंजाब सरकार के बढ़ते हमलों के खिलाफ रैलियां आयोजित कीं और अपनी-अपनी फैक्टरियों के मुख्य गेटों पर प्रदर्शन व सभाएं कर शहर में जुलूस निकाला। जुलूस में 2000 से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया।

डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) की 13 दिसंबर से हांगकांग में शुरू हुई मंत्रिस्तरीय बैठक के विरोध में वामपंथी संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर **उत्तर प्रदेश** के **इलाहाबाद** में जिला कचहरी पर किसान, खेतमजदूर, कर्मचारी और छात्र-युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर संप्रग सरकार से मांग की कि हांगकांग बैठक में साम्राज्यवादी देशों के दबाव से मुक्त होकर भारत सहित गरीब व विकासशील देशों के हितों की रक्षा करे।

वाराणसी में केंद्र सरकार कर्मचारियों ने बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ मिलकर 13 दिसंबर को प्रतिरोध दिवस मनाया। इस मौके पर सुबह 10 बजे से वाराणसी कैंट डाक-तार कार्यालय के सामने धरना दिया गया और शाम 4 बजे संयुक्त सभा की गई। गौरतलब है कि हांगकांग बैठक में कामगारों व कर्मचारियों के सेवा संबंधी जनरल एग्रीमेंट और कृषि संबंधी समझौते जैसे बहुत-से संवेदनशील मुद्दों पर समझौते घोषित होने हैं। वर्ष 2003 में कानकुन में हुई मंत्रिस्तरीय पिछली बैठक विकासशील देशों के शक्तिशाली एकजुट प्रतिरोध के कारण असफल हो गई थी। इस बार भी विकासशील देशों के और भारत के मजदूर-कर्मचारी इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। भारतीय डाकघर कानून-1998 को डब्ल्यूटीओ के निर्देश पर संशोधित करनेवाला विधेयक-2005 संसद के शीतकालीन सत्र में पारित करने के लिए रखा जाएगा। समझा जाता है कि सरकार सभी भारतीय और बहुराष्ट्रीय कोरियर कंपनियों से तय पंजीकरण फीस लेकर मान्यता दे रही है। इससे डाक सेवाओं के निजीकरण का और कोरियर कंपनियों को वैधता प्रदान करने का रास्ता साफ हो जाएगा। फलस्वरूप देश की जनता और 6 लाख डाक कर्मचारियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने दूरसंचार जैसे लाभकारी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की सीमा 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद करने का फैसला किया है। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उद्यमों की संख्या 57 है, जिनकी हैसियत यानी शुद्ध कीमत धनात्मक है। इनमें विदेशी निवेश किया जा रहा है, जो लाखों कर्मचारियों तथा जनता के हित में नहीं है। यह भी गौरतलब है कि धनी देशों की सरकारें अपने-अपने देशों में जो कृषि सब्सीडी दे रही हैं, उनका लाभ उठाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों पर पूरा दबाव बनाएंगी।

सीपीआइ (एम) और सीपीआइ ने **बदायूं** में जुझारू प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें करीब 200 लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद मालवीय आवासगृह में करीब ढाई घंटे तक धरना दिया गया। उपस्थित लोगों को सीपीआइ (एम) जिला सचिव सुश्री निगार नफीस, खेतमजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष शिवदयाल सिंह शाक्य, अब्दुल जमील ख़ां, डीवाइएफआइ के मुजाहिद नफीस आदि ने संबोधित किया। *डब्ल्यूटीओ मुर्दाबाद* के गगनभेदी नारों ने बड़ी संख्या में आम लोगों को भी आकर्षित किया। अंत में जिलाधीश के माध्यम से एसडीएम, सदर को ज्ञापन दिया गया।

बरेली में वामपंथी संगठनों ने जिला मुख्यालय पर विशाल धरना और प्रदर्शन आयोजित किया। इससे पहले, धरने को सफल बनाने के लिए दो संयुक्त बैठकें की गईं और 2000 पर्चे वितरित किए गए। इस मौके पर हुई सभा की अध्यक्षता सीपीआइ (एम) के नरेशचंद्र, सीपीआइ के शंभुदत्त बेलवाल और फारवर्ड ब्लॉक के सरताज मियां के तीन-सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने की और सीटू जिला संयुक्त सचिव संजीव सिन्हा ने संचालन किया।

सभा को सीपीआइ (एम) जिला सचिव चौधरी मोहन सिंह, सीटू जिला सचिव तारकेश्वर चतुर्वेदी, सीटू के ही एनसी बोस, जगदीश गंगवार, रामेश्वर पांडेय, डीवाइएफआइ के राजकरण व राजीव शांत, किसान सभा

तमिलनाडू में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का दूसरा अधिवेशन

तमिलनाडू आंगनवाड़ी कर्मचारी संस्था का दूसरा राज्य स्तरीय अधिवेशन चेन्नई के एमआर अप्पन नगर में 18 से 19 नवम्बर 2005 को हुआ। अधिवेशन के हॉल का नाम 'ऊषावती नीनैवागम' था जोकि संस्था की एक पदाधिकारी ऊषावती जिनकी कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हुई थी की यादगार में था। राज्य के सभी 30 जिलों से लगभग 400 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लिया।

अधिवेशन का आरम्भ आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की महासचिव हेमलता द्वारा फैडरेशन के ध्वजारोहण तथा संस्था की अध्यक्ष राजेश्वरी मुरूगेसन द्वारा तमिलनाडू आंगनवाड़ी कर्मचारी संस्था के ध्वजारोहण से हुआ। सीटू तमिलनाडू राज्य कमेटी के महासचिव ए सौंदारा राजन तथा स्वागत कमेटी के अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

हेमलता ने अधिवेशन का उद्घाटन किया तथा आई सी डी एस को इंस्टीटयूश्नलाइज़ करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जिसने अपने 30 वर्ष पूरे किए है तथा महिलाओं तथा बच्चों के लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत हुआ है। उन्होने बताया कि यह केवल आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ही मांगे ही नही है, बल्कि यह हमारे देश के भविष्य, बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित है। उन्होने आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन के पांचवें अधिवेशन के प्रतिबद्ध, सचेतन, सक्षम कार्यकर्ता की ओर ध्यान लगाकर संगठन को मजबूत करने के निर्णयों के बारे में भी बताया।

संस्था की महासचिव तमिलारसी कार्यो की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होने कहा कि पहले अधिवेशन के बाद पिछले डेढ़ वर्षो में संस्था ने राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर बहुत से अभियान चलाए व संघर्ष किए। उन्होने संगठन को मजबूत करने तथा सदस्यता को बढ़ाने के कार्यों के लिए प्रतिनिधियों का आवाहन किया। सभी जिलों से प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया तथा एकमत हुए।

अधिवेशन ने एकमत होकर संगठन का नाम बदलकर 'तमिलनाडू आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका यूनियन' कर सीटू से संबंधित ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर करने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय अधिवेशन के निर्णयानुसार आंगनवाड़ी कर्मचारियों को राज्य में संघर्षात्मक कार्यक्रमों तथा दिल्ली मे संसद के मानसून सत्र के दौरान दस दिन के लगातार धरने/भूख हड़ताल में बड़ी संख्या मे जमा करने का निर्णय लिया गया।

बहुत से संबंधित संगठनो जिनमें संगठन के बनने के समय से दिशानिर्देशन करने वाली तमिलनाडू राज्य सरकारी कर्मचारी संस्था, भी शामिल है तथा तमिलनाडू कामकाजी महिलाओं की कोर्डिनेशन कमेटी (सीटू) के प्रतिनिधियों तथा अन्य ने अधिवेशन को संबोधित किया।

एस जानकी तथा के तमिलारसी यूनियन के अध्यक्ष तथा महासचिव चुने गए। भुवनेश्वरी को कोषाध्यक्ष चुना गया। 19 नवम्बर को एक विशाल जुलूस तथा रैली हुई, जिसमें सभी राज्यो से हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होने तुरन्त 2003 में जयललिता सरकार के समय में भारत सरकार द्वारा बढ़ाए गए वेतन के भुगतान की मांग की।

(पेज 5 का शेष)

के हरदीप, सतनाम शाही तथा बृजेंद्र जौहरी, खेतमजदूर यूनियन के हेतराम व चंद्रसेन, एसएफआइ के मोहत्सिम मलिक व अनुज सक्सेना और सीपीआइ जिला सचिव शंभुदत्त बेलवाल, एटक के संजीव मेहरोत्रा, फारवर्ड ब्लॉक के सरताज मियां आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने डब्ल्यूटीओ की कारगुजारियों का आम जनता के बीच खुलासा किया।

सहारनपुर में सीपीआइ (एम), खेतमजदूर यूनियन, किसान सभा, सीटू, जनवादी महिला समिति आदि विभिन्न जनसंगठनों ने डब्ल्यूटीओ बैठक का 13 दिसंबर को जबर्दस्त विरोध किया।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीपीआइ (एम) ने लक्ष्मीलाल पोखरना और मास्टर हाफिज मौलाना की अध्यक्षता में जिलाधीश कार्यालय पर धरना आयोजित किया। धरने में विभिन्न जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों को सीटू जिला अध्यक्ष भंवरलाल बापना, सीमेंट वर्क्स एंप्लॉइज यूनियन के महासचिव कालूराम सुथार, चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स एंप्लॉईज एकता यूनियन के दुलाराम गुर्जर, जगदीश पुरी और लाल झंडा ऑटोरिक्शा यूनियन के अध्यक्ष शेख इस्माइल तथा अमनपाल सिंह ने संबोधित किया। धरने में मजदूरों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा किसान सभा जिलाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा और भगवानलाल यादव ने भी हिस्सा लिया।

झारखंड के धनबाद में डब्ल्यूटीओ के विरोध में और जिले की ज्वलंत जन-समस्याओं के निदान के लिए सीपीआइ (एम) ने 13 दिसंबर को प्रभावशाली जुलूस निकालकर उपायुक्त कार्यालय और रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन आयोजित किया। झंडे-बैनर और नारे लिखी तख्तियों से सजे जुलूस में तोपचांची, निरसा, सिंद्री, बलियापुर, धनबाद, गोविंदपुर और झरिया क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस में महिलाओं की संख्या भी उल्लेखनीय थी। पार्क मार्केट, हटिया की मुख्य सड़कों से गुजरते हुए प्रदर्शनकारी रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचे, जहां जुलूस सभा में बदल गया।

सभा के बाद जिला प्रशासन को 19 सूत्री मांगपत्र देकर, देशहित को नजरअंदाज कर डब्ल्यूटीओ के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करने के अलावा जिले में कोयला उत्खनन के बाद जमीनों को कृषियोग्य बनाकर किसानों को आवंटित करने; गैरमजरुआ व परती जमीनें गरीबों-भूमिहीनों को आवंटित करने; पेसा के तहत पंचायत चुनाव कराने; असंगठित क्षेत्र मजदूरों, आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा फुटपाथ दूकानदारों की समस्याओं के निराकरण आदि की मांग की गई। बाद में मंडल रेल प्रबंधक को भी 13 सूत्री मांगपत्र दिया गया। इनके अलावा ईसीएल मुगमा क्षेत्र सहित जिले के विभिन्न कोयला खदानों में कार्यरत असंगठित मजदूरों और रेलवे के पार्सल मजदूरों की समस्याओं के निदान की मांग भी जिला प्रशासन और मंडल रेल प्रबंधक से की गई।

रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित सभा का संचालन सीपीआइ (एम) जिला सचिव गोपीकांत बख्शी ने किया। उनके अलावा गणेश धर, काली सेनगुप्ता, डॉ0 रहमतुल्ला, गुणवंतराय मेहता, शहबान अंसारी, रामकृष्ण पासवान, शिवबालक पासवान, सपन मांझी, प्रसिद्ध राम, केके मुखर्जी, शिवकुमार सिंह, मनिंद्र सिंह, परशुराम महतो, रघुनाथ साह, विकास ठाकुर, मनसाराम गोराई, समीरन बिंद, निमाई मुखर्जी, इंदर सिंह, गोरा सरकार, बबलू राम, शंकर मोदी, झरी मांझी, श्रीमती छवि धर, कमला मेहता, माती हांसदा, साधना कुमारी, माया लायक, चिंता देवी, मुन्नी वर्मा आदि जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। ❑

आंगनवाड़ी मुलाज़म यूनियन, पंजाब के संघर्ष की गौरवमयी विजय

राज्य की आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपने संघर्षशील संगठन आंगनवाड़ी मुलाज़म यूनियन पंजाब के झंडे के नीचे लड़े गए तीन माह के अडिग संघर्ष द्वारा उचित व जायज़ मांगों को राज्य सरकार द्वारा मंजूर करवाया। यह संघर्ष आंगनवाड़ी केंद्र वाले क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्री नर्सरी स्कूल खोलने के विरोध में 100 से अधिक दिन तक चंडीगढ़ मटका चौक में चला। देश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्री शिक्षा प्रदान की जा रही थी। पंजाब में बहुत से स्थानों पर यह केंद्र आईसीडीएस क्षेत्रों में कार्यों को दोहरा रहे थे। प्रशासन के दबाव में आकर आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को ईसीई केंद्रों में जाने के लिए दबाव डाला गया।

आंगनवाड़ी मुलाज़म यूनियन पंजाब ने बहुत बार कार्य के इस दोहरेपन को प्रशासन के समक्ष रखा तथा ईसीई केंद्रों को सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशानुसार आईसीडीएस क्षेत्रों में न खोलने की मांग की। परन्तु राज्य के आईसीडीएस निर्देशक ने उनकी बातों पर ध्यान नही दिया, बल्कि उन्होनें यूनियन के नेताओं के साथ बुरा बर्ताव किया।

संघर्ष का आरम्भ 1 अगस्त 2005 को पुतले जलाकर किया गया। इन मांगों पर एक भूख हड़ताल 25 अगस्त 2005 से चण्डीगढ़ में मटका चौक पर आरम्भ हुई। लगभग प्रत्येक ब्लाक में से 80 से 90 तक कर्मचारियों ने प्रतिदिन लड़ीवार भूख हड़ताल तथा इस दौरान किए गए विशाल धरनों में भाग लिया। 2 सितम्बर को आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा विधान सभा का घेराव करने का प्रयत्न करने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया तथा 36 आंगनवाड़ी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। 5 सितम्बर को पुनः कांग्रेस भवन का घेराव करने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। यूनियन के संघर्षों के परिणामस्वरूप सरकार ने राज्य सरकार को दिए जा रहे मानभत्ते में कमवार 200 रू व 100 रू की बढ़ोतरी करने का पत्र जारी किया। परन्तु सरकार नर्सरी केंद्रों को आंगनवाड़ी क्षेत्रों में न खोलने पर सहमत नही हुई, जिस पर 8 अक्टूबर को चण्डीगढ़ में एक विशाल प्रदर्शन हुआ जब प्रधानमंत्री तथा यूपीए सरकार की अध्यक्षा कांग्रेस मुख्य मंत्री की बैठक में भाग लेने वाले थे। तब निम्न स्तरीय कार्यकर्ताओं को पुलिस की निर्दयता को झेलना पड़ा तथा पुलिस द्वारा यूनियन के स्थानीय तथा जिला नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सामाजिक कल्याण मंत्री ने पुनः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्य को न दोहराने का पत्र जारी करने का वादा किया, परन्तु इस बारे में कोई पत्र जारी नही किया गया तथा वही स्थिति बरकरार रही।

उत्पीड़न तथा मौसम को झेलते हुए भूख हड़ताल जारी रही। मानसून के दौरान, जहाँ महिलाएं दिनरात भूख हड़ताल पर बैठी थी, पंडाल आंधी तथा वर्षा से पुनः गिर गया तथा पानी से भर गया। यूनियन के नेतृत्व का साहस प्रशंसनीय था। उन्होने दशहरा, दीपावली तथा करवा चौथ जैसे त्योहार मटका चौक पर भूख हड़ताल में ही मनाए। पंजाब जैसे स्थान पर महिलाओं का त्योहार के अवसर पर घर से दूर होना बहुत अविश्वसनीय है, जहां सभी त्योहारों का सामाजिक जीवन में बहुत महत्व है। यूनियन को जनता का भी समर्थन मिला।

आंगनवाड़ी फैडरेशन का अखिल भारतीय अधिवेशन 8 से 11 नवम्बर 2005 को बैंगलूर में हुआ तथा सभी राज्यों के नेताओं ने इसमें भाग लिया। उन्होने मुख्य नेतृत्व की अनुपस्थिति में संघर्ष को ज़ारी रखने की योजना बनाई। 6से 14 नवम्बर तक राज्य के नेता अधिवेशन में थे, परन्तु दूसरे स्तर के नेताओं ने संघर्ष को सीटू की मदद से जारी रखा। अधिवेशन से लौटने पर नेता घर जाने की बजाय सीधे मटका चौक पहुँचे।

अंततः 23 नवम्बर को सरकार आईसीडीएस क्षेत्रों में ईसीई केंद्रों को न खोलने का पत्र जारी करने पर मजबूर हुई। यूनियन ने 25 नवम्बर को चण्डीगढ़ में एक जीत रैली आयोजित की। प्रैस ज्ञापन द्वारा दो दिन का नोटिस दिया गया। लगभग तीन हज़ार आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रैली में भाग लिया। आंगनवाड़ी मुलाज़म यूनियन पंजाब की अध्यक्षा तथा महासचिव हरगोविंद कौर तथा हरजीत कौर, अखिल भारतीय फैडरेशन की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु, ऊषा रानी तथा पंजाब राज्य सीटू सचिव रघुनाथ सिंह ने रैली को संबोधित किया। पंजाब राज्य की जीत यह दर्शाती है कि पूरी समझदारी तथा एकजुट होकर एक यूनियन द्वारा पूरी तरह योजना बनाकर किया गया संघर्ष विश्वीकरण की नीतियों को भी बदल सकता है। □

फिरोजाबाद के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन का आह्वान:

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के एकजुट संघर्ष का निर्माण करो!

□ डब्ल्यू आर वरद राजन

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की दूसरी अखिल भारतीय कन्वेंशन गत 3-4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कॉमरेड बी टी रणदिवे नगर में संपन्न हुयी।

उत्तर प्रदेश राज्य सीआईटीयू के अध्यक्ष कमलापति त्रिपाठी द्वारा सीआईटीयू का झंडा फहराए जाने के साथ कन्वेंशन शुरू हुयी। स्वागतसमिति की अध्यक्ष और फिरोजाबाद के कांच उद्योग क्रांतिकारी मजदूर संघ की अध्यक्ष रज्जोदेवी ने कन्वेंशन में आए लोगों का स्वागत किया।

सीआईटीयू के अखिल भारतीय अध्यक्ष एम के पंधे ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया। इस बात को नोट करते हुए कि यह कन्वेंशन तेरह साल बाद हो रही है,पंधे ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं ने गंभीर आयाम अख्तियार कर लिए हैं।

उन्होंने अनौपचारिक (असंगठित) क्षेत्र और गृह आधारित क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था इसके चलते देश की करीब 93 फीसद श्रम शक्ति की काम की स्थितियों और जीवन स्थितियों में भारी गिरावट आयी है।

उन्होंने विभिन्न उद्योगों तथा राज्यों के सीआईटीयू के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे मजदूरों के इन व्यापक तबकों को लामबंद करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और उनके हितों की रक्षा के लिए तथा जायज मांगों को मनवाने के लिए एक दीर्घजीवी संघर्ष चलाएं।

कन्वेंशन ने शुरू में ही फिरोजाबाद के कांच मजदूरों प्रबंधकों तथा प्रशासन के गठजोड़ के हमलों के खिलाफ एक बहादुरीपूर्ण संघर्ष चलाने के लिए बधाई देते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया और उनके संघर्ष के लिए सीआईटीयू के पूर्ण समर्थन की घोषणा की।

कनाई बनर्जी (सीआईटीयू केंद्र), कमलापति त्रिपाठी (उत्तर प्रदेश), मृणाल दास (पश्चिम बंगाल), मालती चित्तिबाबू (तमिलनाडु) और के भास्कर (आंध्र प्रदेश) के पांच सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने कन्वेंशन की अध्यक्षता की।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से समिति के संयोजक पी के गांगुली ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कैसे विश्वीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों के चलते असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के गठन में और उनके द्वारा किए जानेवाले कामों की प्रकृति में कितना व्यापक बदलाव आया है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में एक बड़ा तबका महिला कामगारों और बाल श्रमिकों का है। कुल कामगार महिलाओं का 98 फीसद असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा समाज के दबे-कुचले लोगों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का है। ये लोग न सिर्फ पूंजीवादी शोषण के शिकार हैं,बल्कि सामाजिक दमन के भी शिकार हैं।

रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित कने के लिए सीआईटीयू द्वारा 1991 के अपने कोलकाता सम्मेलन में असंगठित मजदूरों की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किए जाने के बाद के घटनाविकास पर भी विचार किया गया।

इसमें 1992 में पहली अखिल भारतीय कन्वेंशन का आयोजन करने और उसके बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मांगों को लेकर 1993 में की गयी अखिल भारतीय हड़ताल को याद किया गया था। हालांकि इस समय सीआईटीयू की कुल सदस्यता में करीब 50 फीसद असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, लेकिन असंगन्ति क्षेत्र के विराट आकार और इसके तहत आनेवाले उद्योगों की व्यापकता को देखते हुए यह सदस्यता अब भी बहुत कम है।

असंगठित क्षेत्र में सीआईटीयू के आंदोलन को कमजोर करने के लिए और निरंतर बनी रही सांगठनिक कमजोरियों से उबरने के लिए रिपोर्ट में पूरी गंभीरता और फौरी जरूरत के साथ उठाए जानेवाले निम्नलिखित कदम गिनाए गए थे:

- सभी राज्य कमेटियों को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करना चाहिए और अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करनी चाहिए। जहां कहीं भी राज्य स्तरीय समन्वय समितियां गठित नहीं की गयी हैं,वहां ये समितियां गठित की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ राज्य समन्वय समितियों के कामकाज पर नजर रखने के लिए सीआईटीयू राज्य कमेटियों के तहत राज्य स्तरीय सब-कमेटियां गठित की जानी चाहिए।
- उद्योगवार या व्यापारवार यूनियनें गठित की जानी चाहिए।
- प्राथमिकता के लिए तय किए गए उद्योगों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं पर सर्वेक्षण तथा अध्ययन आयोजित किए जाने चाहिए और ठोस मांगों को सूत्रबद्ध किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर की कार्रवाइयों के मुकाबले राज्यस्तरीय अभियानों के ज्यादा अच्छे परिणाम निकलते हैं।
- हर उद्योगवार तथा व्यापारवार समुचित कार्यकर्ता नियुक्त किए जाने चााहिए। जिन उद्योगों में महिलाएं बड़ी संख्या में काम कर रही हों,वहां पर महिला कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- मजदूरों के बीच से कार्यकर्ताओं को विकसित करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और प्रोन्नत कर उन्हें नेतृत्वकारी पदों पर बिठाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कार्यस्थल से संबंधित मुद्दों के साथ ही साथ यूनियनों को लैंगिक भेदभाव, दमन, साक्षरता तथा आवासीय समस्याओं जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना चाहिए।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में एकता की ताकत में विश्वास पैदा करने के लिए स्व-सहायता ग्रुपों, बचत ग्रुपों तथा क्रेडिट ग्रुपों जैसे मध्यस्थ सांगठनिक रूपों को भी अपनाया जाना चाहिए।

कन्वेंशन में विभिन्न राज्यों के 345 प्रतिनिधियों ने भाग लिया,जिनमें से 26 प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट पर हुयी बहस में भाग लिया। संयोजक द्वारा बहस का जवाब दिए जाने के बाद रिपोर्ट स्वीकार कर ली गयी।

विशाल रैली

कन्वेंशन ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की फौरी मांगों (देखें बॉक्स) पर और उन्हें एक दीर्घावधि संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का मांगपत्र

1. केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के सर्वसम्मत सुझावों तथा सिफारिशों को शामिल करते हुए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए फौरन एक सर्वसमावेशी केंद्रीय कानून बनाया जाए।
2. न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन किया जाए और इसमें निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाए: आवश्यकता आधारित न्यूनतम वेतन तय करने के लिए मानदंड, 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन के नियम-कायदे, जिन्हें 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (रैप्टोक्स ब्रेट) द्वारा अनुपूरित किया गया है। न्यूनतम वेतन कानून (संशोधित) को संविधान की 9 वीं अनुसूचि में शामिल किया जाए।
3. असंगठित क्षेत्र के तमाम रोजगारों में न्यूनतम वेतन में फौरन बढ़ोतरी करने के जरिए उन्हें गरीबी के स्तर से ऊपर करने के लिए मौजूदा अधिसूचनाओं को संशोधित किया जाए और एक विशेष अवधि के भीतर आवश्यकता आधारित स्तर तक पंहुचने के लक्ष्य के साथ उसमें निरंतर बढ़ोतरी की जाए। पीस रेट मजदूरों के मामले में हर हालत में न्यूनतम वेतन के भुगतान की गारंटी की जाए।
4. जीवनयापन में बढ़ोतरी के सौ फीसद निष्प्रभावीकरण के साथ मंहगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
5. रोजगार की सुरक्षा और कल्याणकारी कदमों समेत सामाजिक सुरक्षा के तमाम कदमों को असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों के लिए लागू किया जाए।
6. गृह आधारित, स्व-रोजगार, ठेका, अस्थायी, पीस रेट, कैजुअल और एन एम आर मजदूरों (गैर-मस्टर रोल मजदूरों) समेत असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों के लिए नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी करना सुनिश्चित किया जाए।
7. स्त्री-पुरूष सभी मजदूरों के लिए ''समान काम के लिए समान वेतन'' की अवधारणा को लागू किया जाए।
8. महिला कामगारों की विशेष जरूरतों- जैसे क्रेच, अलग शौचालय, मातृत्व लाभ, परिवहन आदि को संबोधित किया जाए। महिला मजदूरों के लिए रात्रि पाली न हो। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए कड़ा दंड हो।
9. तमाम क्षेत्रों में ठेका प्रणाली खत्म की जाए और ठेका मजदूरों को नियमित किया जाए। इस बीच तमाम ठेका मजदूरों के लिए नियमित काम की व्यवस्था की जाए ,यहां तक कि ठेकेदार बदलने की सूरत में भी काम देने की व्यवस्था की जाए और उन्हें नियमित मजदूरों के समान वेतन तथा अन्य लाभ देना सुनिश्चित किया जाए।
10. ठेकेदारों तथा उप-ठेकेदारों के तहत काम करनेवाले मजदूरों के न्यूनतम वेतन की अदायगी के लिए मुख्य और मजदूरों के तमाम तबकों के मामले में किसी शिकायत या विवाद को निपटाने के लिए भी सेवायोजक को ही जवाबदेह बनाया जाए।
11. तमाम सरकारी ठेके टेंडर के जरिए दिए जाएं और टेंडर के दस्तावेजों में कर्मचारियों की संख्या और देय न्यूनतम वेतन के भुगतान जैसी बातें शामिल हों।
12. आवासीय सुविधाओं को असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों तक विस्तारित किया जाए।
13. लघु तथा छोटे क्षेत्रों के संस्थानों की रक्षा के लिए आयातों पर मात्रात्मक पाबंदियों को फिर से शुरू किया जाए, आयात शुल्कों को 1991 के स्तर पर बहाल किया जाए, 1991 के बाद से उत्पादन के जिन आइटमों को आरक्षणमुक्त कर दिया गया है,उन्हें फिर आरक्षित श्रेणी में लाया जाए, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा भारतीय इजारेदार घरानों का इन क्षेत्रों तथा परंपरागत उद्योग में प्रवेश रोका जाए और असंगठित क्षेत्र की तमाम इकाइयों को सब्सीडी दरों पर बिजली तथा अन्य रियायतें मुहैया करायी जाएं।
14. पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाए, चिकित्सा लाभ का प्रावधान सभी मजदूरों के लिए हो और पेशागत बीमारियों तथा दुर्घटनाओं से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा दिया जाए।
15. सभी श्रम विवादों का निपटान तीन महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाए और रोजगारहीनता की अवधि के लिए पूरे वेतन का भुगतान किया जाए।

देशव्यापी अभियान चलाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया। कन्वेंशन ने संप्रग सरकार से मांग की कि रोजगार संरक्षण, न्यूनतम वेतन की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए खेतमजदूर विधेयक तथा असंगठित क्षेत्र मजदूर विधेयक दोनों को फौरन पारित करवाए।

कन्वेंशन ने इस बात के लिए संप्रग सरकार की कड़ी आलोचना की कि उसने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए सर्वसम्मत सुझावों को विधेयक के मसौदे में नहीं शामिल किया। कन्वेंशन ने मजदूर वर्ग के तमाम तबकों का आह्वान किया कि वे सरकार पर यह दबाव बनाने के लिए देशव्यापी संघर्ष तथा अभियान छेड़ें कि वह केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ समुचित विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को पारित करने के लिए फौरन कदम उठाए।

कन्वेंशन ने **संसद मार्च के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने** का भी निर्णय लिया। संसद मार्च की तारीख सीआईटीयू केंद्र द्वारा तय की जाएगी। संभवत: यह मार्च इसी वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। **कन्वेंशन ने वर्ष 2006 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मांगों पर एक देशव्यापी हड़ताल आयोजित करने के लिए** मजदूरों को तैयार करने का भी निर्णय लिया।

सीआईटीयू सचिव और पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मोहम्मद अमीन ने कन्वेंशन के प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया।

बाद में उन्होंने मजदूरों की विशाल रैली को भी संबोधित किया। फिरोजाबाद और आसपास के क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर मजदूर इस रैली में शामिल होने के लिए पंहुचे थे।

मोहम्मद अमीन ने गर्व के साथ बताया कि पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने अपने शासन के पिछले 28 वर्षों में मजदूर हितैषी कदमों को लागू किया है और खासतौर से उसने राज्य के असंगठित क्षेत्र

के मजदूरों के लिए एक अनोखी प्रोविडेंट फंड योजना लागू की है। रैली को एम के पंधे, कनाई बनर्जी, डब्ल्यू आर वरदराजन, के हेमलता, दीपंकर मुखर्जी और दौलत राम ने भी संबोधित किया। कमलापति त्रिपाठी ने रैली की अध्यक्षता की।

दिल्ली की दिसम्बर मास की सर्दी को झेलते हुए पूरे देश से हजारों असंगठित क्षेत्र मजदूर राजधानी में पहुँचे तथा 8 दिसम्बर 2005 को जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन किया। फिरोज़ाबाद में अक्टूबर में सीटू द्वारा आयोजित असंगठित क्षेत्र कार्यकर्ताओं के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के आवाहन पर रिस्पांस बहुत अच्छा था। सीटू के आवाहन पर असंगठित क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों से जैसे बीड़ी कार्यकर्ता, घर कामगार, भवन निर्माण मजदूर, आंगनवाड़ी सेविकाएं तथा सहायिकाएं, टेक्सटाइल कार्यकर्ता, फैक्टरी कार्यकर्ता, रेलवे ठेका मजदूर, फेरी वाले, रिक्शा चालक, आटो चालक इत्यादी ने संसद पर मार्च में लगभग 40 हज़ार की संख्या में भाग लिया। असंगठित क्षेत्र की महिला कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में रैली में भाग लिया।

सीटू द्वारा दूर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए रामलीला मैदान में व्यवस्थित किया गया कैम्प 7 दिसम्बर की रात से अधिक भर गया था। 8 दिसम्बर की सुबह से ही हजारों असंगठित क्षेत्र मजदूरों ने रामलीला मैदान से संसद तक जुलूस में मार्च करना शुरू किया। उन्हें संसद रोड़ पुलिस स्टेशन के पीछे कार्यवाही करने की अनुमति नही मिली, एक विशाल बैठक पुलिस स्टेशन के सामने ही हुई। कुछ राज्यों से कार्यकर्ता अंतिम समय मे बैठक स्थल पर आए। प्रदर्शनकारी असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए श्रम अधिकारों, सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा, कवरेज पर सर्वसमावेशी कानून बनाने के लिए सरकार से तुरन्त कार्यवाही करने की मांग कर रहे थे। रैली द्वारा स्वीकृत मुख्य प्रस्ताव में असंगठित क्षेत्र मजदूरो के सर्वसमावेशी कानून बनाने के लिए अत्संत ज़रूरी कदम उठाने में सप्रसंग सरकार की निष्क्रियता पर गंभीर आक्रोश व्यक्त किया गया। अपने स्वयं के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इस कानून के लिए व्यक्त किए गए संकल्प से सरकार बंधी हुई है। सप्रसंग सत्ता में आने के बाद 18 माह का वक्त गुज़र जाने के बावजूद असंगठित क्षेत्र मजदूर बिल को अंतिम रूप नही दिया जा सका है, जबकि मालिकान और पूँजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए पीएफआरडीए बिल, एसइज़ेड/ईपीज़ेड पर बिल औ माजिकों को मजदूरों के प्रति विभिन्न श्रम कानूनों के तहत उनकी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य वाले बिलों जैसे कई कानमनों को लाने में सरकार ने ज़रा भी समय नही गंवाया। प्रस्ताव में दोहराया गया कि सप्रसंग सरकार के ऐसे मजदूर विरोधी रूख को सहन नही किया जाएगा।

रैली को सीटू अध्यक्ष एम के पंधे, सीटू महासचिव चित्तब्रत मजूमदार और असंगठित क्षेत्र मजदूरों की अखिल भारतीय समन्वय समिति के संयोजक पीके गांगुली के अलावा सीटू सचिवों डब्ल्यूआर वरदराजन और तपन सेन ने संबोधित किया। सीटू नेताओं ने अड़ियल सरकार को मजदूरों की मांगे मानने पर मजबूर करने के लिए असंगठित क्षेत्र मजदूरों के देशव्यापी संघर्ष को तेज़ करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

वामपंथ से संबंधित संसद के बहुत से सदस्य तथा केंद्रिय ट्रेड यूनियनों के नेता, जिसमें एआईटीयूसी, एआईसीसीटीयू, बीएमएस, एचएमएस, यूटीयूसी ने भी रैली में भाग लिया तथा असंगठित क्षेत्र मजदूरों की मांगों को समर्थन दिया। □

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन (सीटू) का तीसरा भोपाल जिला सम्मेलन रिपोर्ट

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का देश की मानवीय प्रगति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि यदि वे महिलाएं काम करना बंद कर दें तो देश की सामाजिक सेवायें ठप्प पड़ जायेंगी। इसके बावजूद सरकार उन्हें महत्वपूर्ण बताने पर तुली है। हमारी मांग है कि इन सभी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाये। हम जब यह मांग करते हैं तब सरकार को 100 करोड़ रुपये आर्थिक बोझ लगने लगता है लेकिन जब शेयर बाजार में करोड़ों रुपये का घोटाला होता है तब यहां सरकार हाथ धरे बैठी रहती है और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही तक नहीं होती। इसलिए संगठन बनाने और यूनियन के सदस्य बनने के साथ साथ हमें अपनी हालत के लिए जिम्मेदार इस सरकार के चरित्र को भी पहचानना चाहिए जिससे हम जनता के खिलाफ नीतियां बनाने वाली इस सरकार को बदल भी सकें। सम्मेलन की मुख्य अतिथि का. ए. आर सिंधु ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन जिला भोपाल के तीसरे जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने समापन भाषण में उक्त बातें कहीं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन जिला भोपाल का तीसरा जिला सम्मेलन स्थानीय यादगार शाहजानी पार्क में 20 दिसंबर 2005 को संपन्न हुआ। सम्मेलन की मुख्य अतिथि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका का अखिल भारतीय फेडरेशन की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का ए आर सिंधु थीं। सम्मेलन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष विद्या खंगार विशेष अतिथि थीं।

भोपाल की सात परियोजनाओं से आई करीब 400 महिलाओं की उपस्थिति में संपन्न हुए सम्मेलन की अध्यक्षता पुष्पा जादी, पुष्पा मिश्रा, आमना बी, हाजरा काजमी, संघ मित्रा व शांताबाई ने की। समता महिला समिति की दीपा, जिया, चेतन और सुमित्रा ने गाये गीत के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई।

अध्यक्ष मंडल के द्वारा शोक प्रस्ताव रखे जाने के बाद यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष विद्या खंगार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। का. विद्या ने कहा कि आज देश के दूसरे राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय प्रदेश सरकारों ने बढ़ाये हैं लेकिन हमारे प्रदेश

(पेज 11 पर)

मुसलमान महिलाएँ तथा कार्य

सेहबा फारूकी

भारत में मुसलमानों की जनसंख्या कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। परन्तु जब मुसलमानों से जुड़े सवालों पर चर्चा होती है, विशेषतः महिलाओं के संदर्भ में तो केवल वह चर्चा 'मुस्लिम पर्सनल ला' तक ही सीमित रह जाता है। मुसलमान महिलाओं के जीवन के दूसरे पहलू अनदेखे रह जाते है।

फिल्मों तथा मनोरंजन के अन्य साधनों द्वारा मुसलमानों की एक खास छवि बनाई गई है। 'मेरे हुजूर', 'मेरे महबूब', 'मेहबूब की मेहंदी' आदी ऐसी फिल्मों की लम्बी कतार है, जिसमें मुसलमानों के जीवन को दिखाने का प्रयास किया गया है। इन तमाम फिल्मों के हीरो शेरवानी और टोपी पहन कर, रेशमी कपड़ो ओर भारी ज़ेवरों से लदी नायिकाओं के साथ इश्क करता नज़र आता है। क्या वास्तव में एक मुसलमान महिला ऐसा ही जीवन बिताती है, जीने के लिए प्रतिदिन संघर्ष में उसकी कोई भूमिका नही होती ? क्या नागरिक होने के नाते इस असमानता पर आधारित समाज में सम्मान के साथ जिंदा रहने के लिए उसे कोई लड़ाई नही लड़नी पड़ती ? क्या मजदूर होने के नाते उसके अधिकारों का हनन नही होता ? मुसलमान महिलाओं से जूड़े इन सवालों के ऊपर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। इस चक्रव्यूह को तोड़कर ही हम समझ सकते है कि वास्तव में मुसलमान महिला की लड़ाई के दिशा निर्देश क्या होंगे।

दिल्ली में मुसलमान बहुल क्षेत्र मुख्यतः सीलमपुर, जामा मस्जिद, जाफराबाद, ज़ाकिर नगर, सुंदर नगरी आदी हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बेहद गरीब वर्ग के लोग रहते है। पुरूष छोटी मोटी नौकरी करते हैं और महिलाएं घरो में विभिन्न प्रकार के काम करती हैं। पुरानी दिल्ली में मोतियो की मालाएं बनाने का काम बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं करती हैं। सौ बारीक मोती की एक लड़ी की माला के 40 पैसे मिलते हैं, सौ मोटे मोती की एक लड़ी की माला के 50 से 75 पैसे, 4 लड़ी की माला के केवल दो रूपए, सारा दिन लगातार काम करने के बाद 40 रूपए का काम यह महिलाएं कर पाती हैं। यह अधिकतर निर्यात का माल होता है, जो बाज़ार में हज़ारों रूपए का बिकता है।

सुंदर नगरी में बिंदी चिपकाने का काम किया जाता है, जिसमें 44 पैकेट बनाने पर केवल 3 से लेकर 5 रूपए तक मिलता है। सहारनपुर में अधिकतर मुसलमान महिलाएं लकड़ी के कारखानों में पालिश और घिसाई का काम करती हैं। इनको लगभग 10 से 12 घंटे टीन के शेड के नीचे लगातार काम करना पड़ता है। कहीं–कहीं शौचालय की भी सुविधा नही है। 12 घंटे के इस कठिन काम की मजदूरी केवल 35 से 40 रूपए होती है। घिसाई के समय उड़ते बुरादे में लगातार सांस लेने के कारण अधिकतर महिलाए फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ीत हैं। सहारनपुर में दूसरा मुख्य व्यवसाय, जहां महिलाएं अधिक संख्या में कार्य करती हैं, ज़रदोजी का काम है। ज़रदोजी के गढे काम के लिए 200 से लेकर 300 रूपए तक मिलते हैं और ज़रदोजी के हल्के काम के लिए 100 से लेकर 150 रूपए तक मिलते हैं। गढे काम में लगभग एक सप्ताह और हल्के काम में 2 से 3 दिन लगते हैं। ज़रदोजी का काम करने वाली अधिकतर महिलाओं और बच्चियों की आंखें खराब हो जाती हैं।

मुसलमान औरतों को दो स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता है: धर्म के आधार पर गैरबराबरी के खिलाफ तथा काम के आधार पर होने वाले शोषण के खिलाफ। मुसलमान औरतों के संघर्ष को दोनों स्तरों पर चलाना होगा और इसके लिए आवश्यक है कि उनको बड़े पैमाने पर प्रगतिशील तथा जनवादी महिला आंदोलन के साथ जोड़कर संगठित किया जाए। □

(पेज 10 का शेष)

की सरकार अपने पास से एक रुपया भी आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में नहीं देती है। इसके लिए हमें अपने संगठन व संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा। भोपाल चूंकि राजधानी की इकाई है और इसके मजबूत होने से पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की ताकत बढ़ेगी। श्रीमती विद्या ने बजट सत्र के दौरान भोपाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की एक बड़ी रैली करने के अखिल भारतीय आंदोलन को उत्साह के साथ करने का आह्वान किया।

यूनियन की जिला सचिव सफिया अख्तर के द्वारा पिछले सम्मेलन से लेकर अब तक किये गये कामों की रिपोर्ट रखी गई जिस पर हुई बहस में 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। कई कार्यकर्ताओं और सहायिका ने अपनी समस्यायें भी रखीं।

सम्मेलन को सीटू प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद प्रधान व राज्य महासचिव पी एन वर्मा ने संबोधित किया। जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्षा संध्या शैली ने सम्मेलन को शुभकामनाएं दीं।

सम्मेलन के अंत में 27 सदस्यीय जिला समिति का गठन किया गया। सफिया अख्तर अध्यक्ष व पी एन वर्मा कार्यकारी अध्यक्ष चुने गये। नाहिद जहां सचिव चुनी गई। संयुक्त सचिव के पद के लिए आयेशा व पुषा जादौल को दिया गया। हाजरा काजमी कोषाध्यक्ष, जसवंती पुष्पा मिश्रा, डा. चन्द्रा नसरीन (उपाध्यक्ष) सुधाराव, मुजफ्फर, आमना बी सी महासचिव चुना गया।

सम्मेलन के अंत में नई जिला समिति की अध्यक्ष सफिया सख्तर ने सभी को धन्यवाद देते हुए सम्मेलन का सम्मान किया। □

हड़तालों का सामाजिक योगदान

चित्तब्रत मजुमदार

29 सितम्बर, 2005 की देशव्यापी हड़ताल की अभूतपूर्व सफलता से परेशान मीडिया को दिहाड़ीदार श्रमिकों के एक दिन के वेतन के नुकसान और औद्योगिक मोर्चे की शिकायतों की चिंता सताने लगी है; वह अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका रोना रो रहा है; श्रमिक आंदोलन के लिये यह बात कोई नयी नहीं है; यह अपेक्षित ही था। इस बार मीडिया ने एक कदम और आगे जाकर पूरे देश के लिये अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं; चलो अच्छी बात है! किन्तु इन भले मानुसों को चिंता देश की नहीं अपितु किसी और बात की है। उन्हें लगता है कि इस बार केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं अपितु पूरे देश में हड़ताल को श्रमिक वर्ग का जोरदार प्रत्युत्तर मिला है; उनकी चिंता यह है कि इससे देश में विदेशी धन अथवा निवेश का प्रवाह रुक जाएगा अथवा उसमें विघ्न पैदा हो जाएगा। श्रमिक वर्ग ने जिन न्यायोचित मुद्दों को लेकर हड़ताल की थी और उसकी मांगे कितनी जायज थीं, इस बात से उसे कोई लेना–देना नहीं है।

ये प्रतिक्रियाएं इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि देशव्यापी हड़ताल को पूरे देश में जबरदस्त सफलता मिली थी; इसके अलावा इनका और कोई औचित्य नहीं है। इस हड़ताल के माध्यम से जन साधारण ने देश में को/बैंक द्वारा निदेशित आर्थिक नीतियों पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है; देश को उदारीकरण की पटड़ी पर आगे बढ़ाया जा रहा है; श्रमिक वर्ग ने इसका प्रतिकार करने का दृढ़ संकल्प कर रखा है। दूसरी ओर देश की बुर्जुआजी ने विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मिल कर नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ चल रहे जन आंदोलनों को कुचल देने का निश्चय कर रखा है और इसके लिये वह कोई भी हथकण्डा अपनाने के लिये सदा तत्पर रहती है। हमें भी इतिहास से सबक लेना चाहिये; हमें न केवल पूरी मजबूती के साथ श्रमिक वर्ग के संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा अपितु इसे और अधिक कुशलता एवं प्रभावकारी ढंग से चलाना होगा।

जब तक श्रमिक वर्ग पूरी मजबूती के साथ अपनी मांगों के लिये संघर्ष नहीं करता तब तक पूंजीवाद उसकी मांगों को मानने के लिये तैयार नहीं होता; भले ही उसकी मांगे कितनी भी जायज क्यों न हों। यह वर्ष 1934 की बात है जब अमरीका के श्रमिकों को अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिये सड़कों पर उतर आना पड़ा था; उसे हड़ताल भी करनी पड़ी थी; इससे मजबूर होकर सरकार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की उनकी मांग स्वीकार करनी पड़ी थी। अमरीका के श्रमिक वर्ग ने न केवल सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त करने में सफलता हासिल की थी बल्कि उनके इस संघर्ष ने फाशीवाद के खतरे से भी अमरीका की रक्षा की थी। दूसरे विकसित देशों में भी सेवायोजकों तथा सम्बन्धित सरकारों को अपनी मांगें मानने और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर कानून बनाने पर मजबूर करने के लिये श्रमिक वर्ग को तीखे संघर्ष चलाने पड़े हैं।

आरोप लगाया जाता है कि श्रमिक आंदोलन केवल और केवल अर्थ वाद से ताल्लुक रखते हैं; अन्य किसी बात से उन्हें कुछ भी लेना–देना नहीं है। हमें इस तरह के अनर्गल आरोपों का जवाब देने के लिये विचार–धारात्मक संघर्ष मजबूती के साथ चलाना होगा; हमें पिछली कई सदियों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे श्रमिक आंदोलनों की उदाहरणें देनी चाहिये। इटली के इस्पात उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों ने वर्ष 1919 में हड़ताल का संघर्ष किया था जो पूरे दो महीने तक चला; उसके बाद वेतन बढ़ोतरी तथा आठ घण्टे के कामकाजी दिवस की मांग को लेकर वहां के खेतिहर श्रमिकों ने आंदोलन चलाया था; यह आंदोलन 20 अगस्त 1920 को उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया जब श्रमिकों ने उनके समर्थन में देशव्यापी हड़ताल की और उस हड़ताल के फलस्वरूप मिलान में जन–जीवन पूरी तरह ठप्प हो गया था। श्रमिकों के लम्बे संघर्ष की चरम परिणति तब हुई जब देश की सरकार को सोवियत संघ से अपनी सेनाएं वापस बुला लेने के लिये मजबूर होना पड़ा था।

फ्रांस में 1918–20 के दौरान श्रमिक वर्ग द्वारा अनेक आंदोलन चलाए गए और हड़तालें की गईं; उन्हीं तीखे संघर्षों और सफल आंदोलनों के फलस्वरूप फ्रांस के श्रमिक वर्ग ने अप्रैल 1919 में आठ घण्टे के कामकाजी दिवस का अधिकार प्राप्त किया था; इस तथ्य से कौन इन्कार कर सकता है? किन्तु वे संघर्ष श्रमिकों की केवल आर्थिक मांगों तक ही सीमित नहीं थे। तथ्य तो यह है कि उन आंदोलनों ने फाशीवाद के सबसे बड़े खतरे के खिलाफ संघर्ष के लिये क्रांतिकारी ताकतों को मजबूत बनाया था। श्रमिक वर्ग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चलाए गए संयुक्त आंदोलनों का परिणाम आखिरकार फाशीवाद विरोधी रैली के रूप में निकला; यह रैली 9 फरवरी, 1934 को पैरिस में निकाली गई थी, उसमें पचास हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया था; वे लोग फाशीवाद के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उसके बाद 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल हुई; उस हड़ताल के फलस्वरूप समाजवादी शिविर को अपना ढिलमुल रुख छोड़ कर 27 जून, 1935 को फासीवाद विरोधी संघर्ष में शामिल होना पड़ा था।

दोनों विश्व युद्धों के बीच की अवधि में श्रमिक

आंदोलन में और तेजी आ चुकी थी; इन आंदोलनों ने अपने-अपने देशों की जनता के व्यापक हितों की सेवा की थी; भले ही उन आंदोलनों का आरम्भ श्रमिकों की अपनी आर्थिक मांगों के साथ हुआ था इस पर भी उस विश्व की रक्षा की थी जिसमें वे रहते थे; यह वह समय था जब विश्व का पूंजीवाद भयानक मंदे की मार से त्रस्त था; वह गहरे संकट में फंसा हुआ था और इसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में निकला था।

हमारे देश में भी श्रमिक वर्ग ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है; उसने ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिये जन साधारण को लामबंद किया था। 1940 के दशक में कपड़ा उद्योग के श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल और ब्रिटिश बेड़ों के नाविकों के संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चूलें हिला कर रख दी थीं; इन्हीं संघर्षो की बदौलत देश में साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को पूरी शक्ति के साथ संगठित किया जा सका था। भूमण्डलीयकरण के इस युग में यह बात तर्क से परे है क्योंकि इसकी प्रकृति साम्राज्यवादी है; यह परिस्थिति भूमण्डलीय पूंजीवादी व्यवस्था के अपने संकट की उपज है; विकसित देशों में भी बड़े पूंजीपति तथा सरकारें एक साथ मिल कर श्रमिकों के अधिकारों को पावों तले रौंद देने के हथकण्डे अपना रही हैं; वे दमनचक्र चला रही हैं; अब तक श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के जो लाभ हासिल रहे हैं ये सरकारे उन लाभों को भी वापस ले लेना चाहती हैं। इस समय न केवल साम्राज्यवाद की काली परछाई सभी ओर फैल रही है अपितु फाशीवादी शक्तियां पुनर्जीवित होने के लिये विभिन्न देशों में हाथ पांव मार रही हैं।

इन सभी घटनाओं का सबसे अधिक दुष्प्रभाव तीसरी दुनिया के श्रमिकों पर पड़ा है। श्रमिकों की उचित मांगों को नहीं माना जा रहा और वर्तमान में उन्हें जो सेवा सुविधाएं प्राप्त हैं उनमें भी व्यापक स्तर पर कटौती की जा रही है। बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीयों का लाभ बढ़ता चला जा रहा है; वे धनाढय से अति धनाढय हो रहे हैं और दूसरी ओर जन साधारण के स्तर पर इस स्थिति का प्रकटीकरण भयानक बेरोजगारी और जन गण के दरिद्रीकरण के रूप में हो रहा है। विकासशील देशों के खिलाफ साम्राज्यवादी हमलों को प्रत्यक्ष रूप में देखा एवं अनुभव किया जा सकता है। यही वह पश्ष्ठभूमि है जिसके दृष्टिगत देश के श्रमिक वर्ग के सामने इन हमलों का प्रतिकार करने, श्रमजीवी जनता की सभी श्रेणियों को संगठित एवं लामबंद करने और क्रांतिकारी शक्तियों को मजबूत बनाने के अलावा और कोई चारा शेष नहीं रह गया है।

29 सितम्बर, 2005 की देशव्यापी हड़ताल विशिष्ट प्रकृति की हड़ताल थी; यह हड़ताल केवल आर्थिक मांगों को लेकर ही नहीं की गई थी। इसकी प्रकृति उससे कहीं अधिक व्यापक थी; यह हड़ताल जन साधारण के हितों की रक्षा करने के लिये की गई थी और उसके साथ ही साथ देश की आर्थिक प्रभुसत्ता तथा आत्म निर्भरता की रक्षा करने और सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिये की गई थी क्योंकि बुर्जुआजी के नेतृत्व वाली सरकार इतनी सक्षम एवं मजबूत नहीं है कि वह साम्राज्यवादी दबावों का मुकाबिला कर सके और उनसे देश के हितों की रक्षा कर सके। देश की बुर्जुआजी को तो केवल अपने हितों की चिंता है, इसलिये वह बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ मिल कर श्रमिक वर्ग तथा उनके संगठनों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करती है और हड़तालें एवं आंदोलन चलाने के लिये उन्हें पानी पी-पीकर कोसती है। वे बहुत उग्र हो चुके हैं; श्रमिकों के संघर्ष को कुचलने के लिये कोई भी हथकण्डा अपनाने से उन्हें गुरेज नहीं है; वे श्रमिकों के प्रदर्शनों को असभ्य आचरण की संज्ञा देते हैं।

हाल ही में तथाकथित सभ्य देशों में जो अमानवीय घटनाएं हुई हैं; वह श्रेणी उन पर पर्दा कैसे डालेगी जो हड़तालों एवं प्रदर्शनों को जी भर कर कोसती है? इटली, फ्रांस, दक्षिण कोरिया तथा समाजवादी व्यवस्था से मुक्त हो जाने वाले रूस के हजारों-लाखों मजदूर बार-बार सड़कों पर उतर कर नव-उदार एवं भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हैं और अक्टूबर 2005 में भी उन्होंने संघर्ष की कार्रवाईयां की थीं। दूसरे तथा कथित सभ्य देशों के श्रमिक भी आंदोलन के पथ पर अग्रसर हैं; वे आंदोलन चला रहे हैं; हड़तालें कर रहे हैं; वे सड़कों पर उतर कर जन-जीवन ठप्प कर देते हैं; वे सड़क यातायात, रेल गाड़ियों की आवाजाई और हवाई सेवाओं को ठप्प कर देते हैं! क्यों? इसलिये कि वे अपने-अपने देशों की सरकारों को नव-उदारवादी नीतियों का पालन करने से रोक सकें। इसके अलावा अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन में युद्ध विरोधी प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं।

हमारे देश में हाल ही में हड़तालें एवं श्रमिक आंदोलन चले हैं वे केवल आर्थिक मांगों के लिये नहीं चलाए गए। इसकी अपेक्षा उनका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की नव-उदार जन विरोधी नीतियों तथा साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया के खिलाफ समाज की सभी श्रेणियों को एकजुट एवं लामबंद करना रहा है। साम्राज्यवाद की बढ़ती चली जा रही धमकियों और फाशीवाद के खतरे के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे जन आंदोलनों की दृष्टि से ही देश के इन जन आंदोलनों को देखा जाना चाहिये। फाशीवाद पर विजय की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमें एक बार फिर से इतिहास पर नज़र डालनी चाहिये और यह सबक फिर से सीखना चाहिये कि सोवियत संघ के समाजवादी भावनाओं से ओत-पोत श्रमिक वर्ग ने मानवता के लिये ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी; उन्होंने पूंजीवाद जनित साम्राज्यवाद तथा फाशीवाद पर समाजवाद की विजय के लिये श्रमिक वर्ग की अवधारणा को बनाए रखने के लिये संघर्ष के इस पथ का वरण किया था। □

जनता के साथ संबंधों को मजबूत करना

आई सी डी एस मानकों के अनुरूप एक आंगनवाड़ी केंद्र को ग्रामीण तथा शहरी स्लमों में 1000 की आबादी तथा आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 750 की आबादी को **कवर** करने की जरूरत है। इस मानक के अनुरूप छोटे गांवों और उपगांवों में केवल एक ही आंगनवाड़ी केंद्र है। बड़े गांवों में आबादी के हिसाब से 3-4 या अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं। चूंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्थानीय महिलाएं होनी चाहिएं उनका आंगनवाड़ी केंद्रों से **कवर होने** वाले क्षेत्रों में जनता से निकट संपर्क होता है। इसके अलावा अपनी **ड्यूटी** करते हुए वे न केवल बच्चों और महिलाओं के साथ जो आई सी डी एस के लाभ प्राप्त कर्ता होते हैं, बल्कि उनके परिवारों के साथ भी निकट संपर्क विकसित करती हैं।

किंतु जिस निष्ठुरता के साथ सरकार और प्रशासन योजना को लागू करते हैं उससे आंगनवाड़ी कर्मचारियों और गांव के लोगों में तनाव पैदा हो जाता है।

अक्सर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कई चीजों के लिए गांव के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होतीं या जो उनके नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए पूरक पोषण की अनियमित या अपर्याप्त सप्लाई और खराब क्वालिटी, आंगनवाड़ी केंद्रों में उचित बुनियादी ढांचे की कमी गांव के लोगों के लिए अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजने के लिए अनोत्साहक का काम करते हैं। सुपरवाइजर और सी डी पी ओज आंगनवाड़ी केंद्रों में कम उपस्थिति के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों की खिचाई करते हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजने में रूचि की कमी से खिन्न हो जाती हैं।

प्रशासन और पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार से आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए अपनी ड्यूटी ठीक से अंजाम देने में भारी कठिनाई होती है। ऐसे उदाहरण हैं न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है बल्कि ऊपर से थोपा जाता है। हालांकि संख्या कम है, फिर भी कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इस तरह के लुभावों का शिकार हो जाती हैं और अपनी ड्यूटी की अवहेलना करती हैं। इससे लाभ प्राप्त कर्ताओं में नाराजगी पैदा होती है।

कई राज्यों में जहां आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रबंधन पंचायतों को सौंप दिया गया है वहां कई सालों से काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवाओं को राजनैतिक या दूसरे कारणों से समाप्त कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनके मामूली से मानदेय के भुगतान प्राप्त करने के लिए भी तंग किया जाता है। देश में भारी बेरोजगारी के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों के लिए प्रतियोगता बढ़ गई है, बेशक मानदेय बहुत ही कम है।

ये सब कारक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में यह भावना पैदा होती है कि स्थानीय जनता और लाभ प्राप्त कर्ता उनका समर्थन नहीं करते। लाभ प्राप्त कर्ता और स्थानीय लोग भी अक्सर यह नहीं समझते कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका किन कठिन स्थितियों में काम करते हैं, चूंकि वे आम तौर पर तथ्यों से वाकिफ नहीं होते।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संगठन के रूप में हमारी राज्य कमेटियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की इन सभी समस्याओं को संबोधित करना पड़ता है और हस्तक्षेप करना पड़ता है। साथ ही हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्थानीय जनता के साथ संबंधों को मजबूत करने की जरूरत पर शिक्षित करना पड़ता है। हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के के बीच खास तौर से अपनी सदस्यों में यह जागरूकता पैदा करनी पड़ती है कि गांव में अधिकांश लोग और लाभ प्राप्तकर्ता उसी तबकों से हैं जिनसे आंगनवाड़ी कर्मचारी आते हैं।

लाभ प्राप्त कर्ताओं का आम तौर पर ऐसा लगता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सरकारी कार्यकर्ता है जो सारे लाभ उठा रही हैं। लाभ प्राप्त कर्ताओं में आई सी डी एस के बारे में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की कार्य स्थितियों, उनकी समस्याओं आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। साथ ही यह सुनिश्चित करके कि आई सी डी एस के सभी लाभ पात्र महिलाओं और बच्चों तक पहुंचें उनका विश्वास जीतना भी आवश्यक है। हमारी राज्य कमेटियों को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिएं जैसे पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के पूरक पोषण की नियमित सप्लाई, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पक्की बिल्डिंग, सभी जरूरी सुविधाओं जैसे खिलौने, फर्नीचर, आदि और बड़ी संख्या में हमारे सदस्यों को लाभबंद करके इन पर संघर्ष छेड़ने चाहिएं। हमें इन संघर्षों में लाभ प्राप्त कर्ताओं को भी शामिल करना चाहिए और उनके प्रतिनिधि संगठनों जैसे महिलाओं, खेतमजदूरों, किसानों के संगठन और ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त आंदोलन विकसित करने चाहिएं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने सदस्यों और आम तौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को भ्रष्ट अधिकारियों के बहकावे में न आने के लिए शिक्षित करना चाहिए। हमें यह जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि हमारी शक्ति जनता के समर्थन से कई गुना बढ़ जाती है और कोई भी अधिकारी हमारा उत्पीड़न नहीं कर सकता यदि हमें जनता का समर्थन हासिल है। हमें जनता के समर्थन पर भरोसा करना चाहिए न कि भ्रष्ट अधिकारियों के संदेहास्पद आश्वासनों पर। हमारी कई राज्य कमेटियों को जनता के समर्थन से अपने कार्यकर्ताओं को पुनर्बहाल कराने का अनुभव है जब कुछ सी डी पी ओज या पंचायत प्रधानों ने उनकी सेवाओं को यूनियन गतिविधियों में भाग लेने के कारण बर्खास्त करने की कोशिश की।

हमें अपने कैडरों को शिक्षित करना चाहिए कि नव उदारवाद की नीतियों की पृष्ठभूमि में, जब सरकार जनता को बुनियादी सेवाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने की जिम्मेदारी से दूर भाग रही है तो आई सी डी एस को सर्वव्यापी बनाने और उसे मजबूत करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की सेवाओं को नियमित कराने का कठिन संघर्ष है। हमें अपनी मांग के लिए जनता के सभी हिस्सों के, सबसे पहले उन लोगों के जिनके लिए आई सी डी एस है, यानी लाभ प्राप्त कर्ताओं के, समर्थन को लामबंद करना चाहिए। यदि लाभ प्राप्तकर्ता और आम जनता आई सी डी एस के महत्व को समझे और हमारी मांग का समर्थन करे तो उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष जो हमारी सेवाओं के नियमितीकरण को रोकती हैं, के खिलाफ संघर्ष उतना ही आसान हो जाएगा।

मजदूर वर्ग और जनतांत्रिक आंदोलन में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भूमिका

समन्वित बाल विकास सेवा योजना इस तरह बनाई और विकसित की गई है कि इसके मुख्य कार्यकर्ता यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का लाभ प्राप्तकर्ताओं के साथ नजदीकी संबंध हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के चयन का मुख्य आधार यह है कि वे स्थानीय समुदाय से होनी चाहिएं। उनका काम समुदाय के साथ, खास तौर से आंगनवाड़ी क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के साथ नियमित और नजदीकी संपर्क हो।

कई गांवों और दूर के क्षेत्रों में यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो बेहतर शिक्षित है और ग्रामीणों के रोजमर्रा के जीवन के संबंध में और उनकी समस्याओं के बारे में सलाह देने की स्थिति में है। उनके द्वारा विभिन्न तरह के काम किए जाने के कारण जैसे स्वयं सहायता समूह संगठित करना, लघु बचतों को प्रोत्साहित करना, बीमा, साक्षरता अभियान, क्षेत्र की महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण आदि और उनके शिक्षा स्वास्थ्य, राजस्व तथा दूसरे विभाग के अधिकारियों से संपर्कों के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में गांव के अधिकांश लोगों की अपेक्षा बेहतर खुलाव होता है। कई गांवों में जनता, खास तौर से गरीब लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर जैसे उनके बच्चों का स्कूल में दाखिला से लेकर चुनावों में किसे वोट दें तक, सलाह मांगते हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा जिन महिलाओं और बच्चों की सेवा की जाती है वे अधिकतर खेत मजदूरों, छोटे और मझोले किसान परिवारों से संबंधित होते हैं; बड़ी संख्या में महिलाएं असंगठित क्षेत्र में भी काम करती हैं जैसे बीड़ी मजदूर, घरेलू मजदूर, निर्माण, ईंट-भट्टा मजदूर आदि, या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के परिवारों से संबंधित होते हैं। उनकी समस्याओं को समझने से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मदद मिलेगी और उनके संगठन जनता के साथ निकट संबंध विकसित कर सकेंगे।

खेतमजदूरों को वर्ष में 60-70 दिन से अधिक काम नहीं मिलता। अधिकांश राज्यों ने खेतमजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की घोषणा नहीं की है। जहां तय भी की गई है वहां उसे लागू नहीं किया जाता। भूमिहीन होने के कारण उन्हें अपने जिन्दा रहने के लिए जमीन वाले तबकों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं है। खेत मजदूरों और उनकी महिलाओं और बच्चों में कुपोषण भारी तादात में है। चूंकि सरकार ने लक्षित जन वितरण प्रणाली लागू करके जन वितरण प्रणाली को खत्म कर दिया है उन्हें सस्ते अनाज से भी वंचित किया गया है। महिला खेतमजदूरों को कोई मातृत्व लाभ नहीं मिलते और उन्हें डेलीवरी के दिन तक काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और चंद दिन बाद फिर काम संभालना पड़ता है। उनके लिए क्रेच की कोई सुविधा नहीं हैं। हालांकि योजना आयोग ने जोरदार सिफारिश की है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को डे केयर जमा क्रेच में बदला जाएगा ताकि आंगनवाड़ी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में छोड़ सकें, सरकार ने इसे लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। यौन उत्पीड़न आम है। यू पी ए सरकार ने अभी तक खेतमजदूरों के लिए एक व्यापक कानून बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है जैसा कि सी एम पी में वायदा किया गया है।

उसी तरह महिलाओं को जो आई सी डी एस लाभ प्राप्तकर्ताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है। वे अंधविश्वासों और ऐसी सामाजिक प्रथाओं जैसे सती, देवदासी, जोगनी, बाल विवाह, दहेज आदि की भी शिकार हैं जो महिलाओं के लिए अपमानजनक हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति का उपयोग जनता के लाभ के लिए करने की बजाय ऐसी अमानवीय प्रथाओं जैसे मादा भ्रूण हत्याओं के लिए किया जा रहा है।

सभी तरह की जातीय और विभाजनकारी ताकतें कामकाजी जनता की एकता को तोड़ती है, बल्कि वे महिलाओं को अपना खास निशाना बनाती है। ये ताकतें रूढ़िवादी और प्रतिगामी प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं और महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन को भी नियंत्रित करने और निर्देशित करने की भी कोशिश करती हैं।

आम तौर पर आंगनवाड़ी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर्ताओं और जनता को भी उसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें आंगनवाड़ी कर्मचारी उनके परिवार के सदस्यों के रूप में सामना करती हैं। यदि इन तबकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित किया जाए तो आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भी लाभ होगा। इसके अलावा इससे देश में आम जनतांत्रिक आंदोलन में मदद मिलेगी और यह आइ एम एफ, विश्व बैंक आदि जैसी साम्राज्यवादी एजेंसियों द्वारा निर्देशित जन विरोधी नव अदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को भी मजबूत करेगा। और इससे आई सी डी एस को मजबूत करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के नियमितीकरण के हमारे संघर्ष में मदद मिलेगी।

किंतु हालांकि इन मजदूरों को उनके सेवायोजकों द्वारा शोषित किया जाता है और वे सरकार द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक नीतियों की आंच भी झेलते हैं, जो उन पर भारी बोझ डालती हैं, वे उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं हैं चूंकि उनमें से अधिकांश असंगठित हैं। उनमें से अधिकांश लोग निरक्षर हैं और अपने अधिकारों को नहीं जानते। अधिकांश को संगठन के फायदों और लाभों का पता नहीं है। **हमारी कई राज्य कमेटियां उन्हें संगठित होने में मदद करने की स्थिति में हैं और हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम इसे किस तरह प्रभावी ढंग से कर सकते हैं।**

कई राज्यों में अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित होने से पहले अपमानित किया गया था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। यहां तक कि उन्हें उनके लाभों और सुविधाओं से भी वंचित किया गया था। संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के बाद न केवल आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कुछ लाभ मिले बल्कि उन्हीं अधिकारियों द्वारा उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है।

कई संगठन जैसे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और सीटू कामकाजी महिलाओं, खेत मजदूरों, किसानों और असंगठित क्षेत्र मजदूरों में काम करते हैं। वे उनकी विशेष समस्याओं को उठा रहे हैं और इन मुद्दों पर आंदोलन और अभियान चला रहे हैं। कई राज्यों में उनकी उपस्थिति मजबूत है। हमारी राज्य कमेटियां इन संगठनों के साथ सहयोग करती हैं ओर जनता को उनके क्षेत्रों में इन संगठनों में शामिल होने और आंदोलनों में भाग लेने में मदद करती हैं।

आंध्र प्रदेश में हमारी कार्यकर्ताओं ने खेत मजदूरों को संगठित करने में और न्यूनतम मजदूरी आदि के लिए संघर्ष में उन्हें लामबन्द करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कुछ जिलों में वे महिलाओं को एडवा का सदस्य बनाती हैं। कर्नाटक में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने महिलाओं, नौजवानों और किसानों को उनके अपने संगठनों में संगठित होने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

हमें आपसी सहयोग और एकजुटता विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर इन संगठनों के नेताओं के साथ कार्यशालाएं और बातचीत की जानी चाहिए। हमें मिलकर जनता के मुद्दों पर मजबूत और व्यापक आंदोलन विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। □

अधिवेशन द्वारा स्वीकृत मांगपत्र

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप देश भर में सभी बस्तियों को कवर करने के लिए आई सी डी एस को सर्वव्यापी बनाओ।
- देशभर में सभी आंगनवाड़ी केंद्रो में पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवतता के पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करो।
- आई सी डी एस को नियमित करो और आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को कमशः ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता दो।
- आई सी डी एस को मजबूत करो और आंगनवाड़ी केंद्रों को दिन में देखभाल जमा केचों में बदलो।
- सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता लम्बित रहते हुए कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय को बढाकर 3,000 रू और सहायिकाओं के लिए 2,000 रू करो।
- मानदेय को उपभोक्ता सूचकांक के साथ जोड़ा जाए।
- आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं दोनो को वार्षिक वेतन बढोतरी प्रदान करो। इसके लम्बित रहते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उपलब्ध वेतन बढोतरी सहायिकाओं को भी प्रदान की जाए।
- सामाजिक कल्याण लाभ जैसे भविष्य निधि, ई एस आई, पेंशन आदि सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को प्रदान की जाए।
- आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए उचित गाइडलाइनें बनाई जाएं और उन्हें लागू किया जाए।
- योग्य आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आंगनवाड़ी सेविकाओं के रूप में नियुक्त किया जाए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से आंगनवाड़ी केंद्र छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन के लिए अनिवार्य किया जाए।
- आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के काम को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और उन्हें पारिश्रमिक के भुगतान के बिना कोई अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ न दी जाएं।
- देशभर में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं के लिए एक जैसे नियम लागू होने चाहिए।
- आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं दोनो के लिए सभी परियोजनाओं में नियमित रूप से मासिक परियोजना बैठकें की जानी चाहिए और इन बैठकों में अपनी डयूटी निभाते समय उनके सामने आने वाली रोजमर्रा की समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए जब कभी उन्हे किसी अधिकारिक बैठक, उसको लेकर जब उन्हें मानदेय के भुगतान के लिए अलग से बुलाया जाता है, सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को यात्रा और दैनिक भत्ते भुगतान किए जाने चाहिए। टीए/डीए नियमित रूप से हर माह अदा किया जाना चाहिए।
- आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए राज्य और जिला स्तरों पर सभी राज्यों में शिकायत निवारक कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए।
- सभी परियोजनाओं में राशन घर ले जाओ को लागू करना बंद किया जाए।
- देशभर में सभी आंगनवाड़ी परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए टोयलेट, सफाई और पीने के पानी के प्रावधान जैसी सभी सुविधाओं के साथ पक्की बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए। तब तक शहरी और ग्रामीण /आदीवासी परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किराए के रूप में 400 रू और 200 रू दिए जाए।
- सभी राज्यों में गर्मियों की छुट्टीयाँ दी जाए।
- सुपरवाइजरों की नियुक्ति केवल योग्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ही की जाए।
- आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को एएनएम्स, प्राइमरी स्कूल अध्यापक, गांव सचिव आदि जैसे पदो के लिए नियुक्तियों मे प्राथमिकता दी जाए।
- सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के लिए चिकित्सा छुट्टियाँ दी जाए,उन्हें सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा जांच समेत मुफत चिकित्सा प्रदान की जाए। निजी चिकित्सा सहायता लेने की स्थिति में उनके पूरे चिकित्सा खर्चे का भुगतान किया जाए।
- काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाओ। तब तक सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइनो के अनुरूप सभी जिलो में यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कमेटियाँ गठित की जाएं
- आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को, जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता नही दी जाती जब सरकारी कर्मचारीयों पर लागू होने वाली सेवा शर्तें उन पर भी लागू होंगी, सभी राज्यो में चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए।
- आई सी डी एस लागू करने में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए।

के. हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए–13, राऊस एवेन्यू नई दिल्ली–2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित।